

प्रेषक,

डॉ. प्रतिमा

अपर मिशन निदेशक

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक- 26/12/2018

विषय:- पंचायत सरकार भवनों के आर.टी.पी.एस. काउंटर से बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से संबंधित सुविधाएँ प्रदान किए जाने के संबंध में।

प्रसंग:- मिशन कार्यालय का पत्रांक-1744, दिनांक-07.12.2018

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र का संकेत किया जाए जिसमें पंचायती राज विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में 1055 नव निर्मित पंचायत सरकार भवनों में RTPS का एक काउंटर स्थापित कर लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग की ऑनलाईन प्रदान की जाने वाली सेवाएँ उपलब्ध कराये जाने के निर्णय का संसूचन किया गया है।

2- बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम (RTPS) के अतिरिक्त राज्य सरकार के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण भी किया जाता है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की पूरी व्यवस्था ऑनलाईन और वेब आधारित है।

3- निदेशानुसार दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों तक अधिनियम की पहुँच को सहज बनाने के दृष्टिकोण से पंचायत सरकार भवनों में स्थापित किए जा रहे RTPS काउंटर से बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से संबंधित कुछ सुविधाएँ भी निम्नरूपेण प्रदान कराये जाने का निर्णय लिया गया है -

1. अधिनियम के अंतर्गत किसी परिवादी का ऑनलाईन पद्धति से परिवाद दायर कर उसकी तुरंत पावती दिलायी जाए।
2. ऑनलाईन पद्धति से प्रथम अथवा द्वितीय अपील दायर कर उसकी तुरंत पावती दिलायी जाए।
3. किसी परिवाद/अपील की अद्यतन स्थिति जानने में परिवादी/अपीलार्थी को सहायता प्रदान करायी जाए।
4. किसी परिवाद एवं अपील में पारित अंतिम विनिश्चय की वेब कॉपी डाउनलोड कर उसका Print Out उपलब्ध करायी जाए।
5. आम नागरिकों को ये सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेंगी।
6. बिन्दु-4 की सुविधा परिवादी अथवा अपीलार्थी द्वारा परिवाद/अपील दायर किए जाने की मूल पावती दिखलाये जाने पर ही प्रदान की जा सकेगी।

4- अनुरोध है कि सभी संबंधित को इससे अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

विश्वासभाजन

DM
डॉ. प्रतिमा

अपर मिशन निदेशक

ज्ञापक-बि0प्र0सु0मि0सो0/BRPGRA-07/2018 सो0 1834 दिनांक 26/12/2018

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

DM
अपर मिशन निदेशक